न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
25/2020	10-02-2020	09/02/2022

122

उनवान

रहमान बनाम हाकम व अन्य

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 रूल 11 सपठित धारा 151 जा0दी0)

-:: निर्णय ::-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 रूल 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रतिवादी संख्या 1 (प्रार्थी) निम्न पेश है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 275, 276 वाके ग्राम बिजलहैड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर हिम्मत पुत्र उमराव फौत हो चुका है जिसका वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 वाद में पक्षकार है वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का हाल जमाबन्दी में विरासत इंतकाल दर्ज न होने के कारण हाल जमाबन्दी में अमल है जिसका वादी ने ना तो मृत्यु प्रमाण वाद में पेश किया है ना ही वादी द्वारा हाल जमाबन्दी में अंकित संख्या 4 नम्बर पर हिम्मत पुत्र उमराव का अकन है। जिस पक्षकार ना बनाकर हिम्मत के वारिसों कों वाद में पक्षकार बनाया गया है। वादी द्वारा वाद में हिम्मत पुत्र उमराव को कहीं भी फौत नहीं बताया गया है। इसलिए वाद वादी में हर्जा खर्जा भारी कोष्ट पर खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, सपठित धारा 151 जा0दी0 मिन वादी (अप्रार्थी) द्वारा जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण, मिन वादी के साथ रिकोर्डेड सहखातेदारान काश्तकारी नहीं है। जो व्यक्ति रिकोर्डेड सहखातेदार ना हो, उसके विरूद्व धारा 188 के अन्तर्गत ही दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। वाद हेतुक दिनांक 18.01.2020 को उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादीगण बिना किसी हक व अधिकार के वादी की खातेदारी की आराजी में जबरन घुसने का प्रयास किया। जिन मृतक व्यक्तियों को उल्लेख है वह वाद में पक्षकार मुकदमा नहीं है। वाद में उपस्थित समस्त प्रतिवादीगण्एा आज दिनांक तक जीवित है। मात्र तंग व परेशान करने की नियत से अदालत का किमती समय खराब करने के उद्देश्य से यह झूंठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। आर्डर 14 रूल 2 के सबक्लास 2 में स्पष्ट प्राविधिक है कि न्यायालय के अधिकार का अथवा ततसमय प्रवत किसी विधि द्वारा सृष्ट वाद के वर्जन से संबंधित बिन्दु को प्रथम विवाद्यक के रूम में विचारण करेगा। प्रकरण में अभी विवाद्यक तय नही हुये है प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आधार विधि सृष्ट वाद के वर्जन के बिन्दु पर है, जो विवाद्यक बनाये जाकर साक्ष्य से ही निर्धारित किये जा सकते है। आर्डर 7 रूल 11 के तहत वादी का वाद इस प्रकार खारिज नहीं किया जा सकता। यदि कोई कानूनी प्रश्न दावें में अन्तर्लिप्त है तो उसे आर्डर 7 रूल 11 के तहत प्रारम्भिक स्तर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आर्डर 7 रूल 11 में उठाये ऐतराज तथ्यों एवं विधि के मिश्रित प्रश्न है। जिनका निर्धारण कर तनकीयात कायम कर साक्ष्य प्रस्तुत कर उसे निर्धारित किया जा सकता है एवं प्रकरण को कानूनन रूप में न्यायालय श्रीमान् को बाद

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

महोदय,

बयान दावा मिन वादी निम्न प्रकार सेवामें पेश हैं :—

श्रीमानजी

निर्धारित व तैय नहीं किये जा सकते। प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 सीपीसी के सबक्लाज (क) व (घ) में किस प्रकार आता है। विधि विरूद्व तरीके से गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है एवं आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी प्रार्थना पत्र निर्णित करते समय माननीय उच्चतम न्यायालयों द्वारा पारित सिद्वान्तों के अनुरूप न्यायालय को केवल वाद पत्र का अवलोकन करना होता है। जवाब दावें के अनुसार न्यायालय श्रीमान् आर्डर 7 नियम 11 सीपीसी का निर्णय कानूनन नहीं कर सकते एवं कब्जे का प्रश्न भी साक्ष्य का प्रश्न है, जो साक्ष्य उपरान्त ही तैय हो सकता है। प्रतिवादीगण द्वारा आज दिनांक तक जवाब दावा भी पेश नहीं किया है। न्यायालय श्रीमान् को मात्र केवल प्रस्तुत वाद पत्र के सार तत्व को देखना है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र मैन्टेनेबल नहीं है। जवाब प्रार्थना पत्र मिन वादी की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी हाकम का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 1 (प्रार्थी) के अधिवक्ता द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये –

01. Dahiben V/S Arvindbhai Kalyanji Bhanusali Judgment 09-07-2020
02. Azhar Hussain V/S Rajiv Gandhi Judgment 25-04-2086
03. Khatri Hotels P.L. And Another V/S Union Of India And Another Judgment 09-09-2011
04. Rakesh Kumar Anr V/S Umesh Kumar Aur Judgment 16-04-2009
05. Madanuri Sri Rama Chandra Murthy V/S Syed Jalal Judgment 19.04.2017
06. Liverpool & London V/S M.V. Sea Judgment 20-11-2003

वादी (अप्रार्थी) के अधिवक्ता द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये –

01. 2016(3)CJ(Civ.)(Raj.) Page No. 1926 (Gopal V/S Manohar Lal)
02. 2015 DNJ (SC) Page No. 25 Date 25-03-2015 (P.V. Guru Raj Raddy V/S P. Neeradha Reddy)
03. RRT 2014(1) Page No. 399 (Abdul Salam V/S Nathdwara Templa Board)
04. 2016(3)CJ(Civ.)(SC) Page No. 762 (R.K. Roja V/S U. S. Rayudu)
05. 2017(1)CJ(Civ.)(Raj.) Page No. 212 (Rajendra Meena V/S Harendra Kumar)
06. RRT 2011(2) Page No. 1395 (Govind Narayan V/S Shri Baheti Dharmshala)

हमने प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस को सुना, प्रतिवादी संख्या 1 (प्रार्थी) द्वारा अपनी लिखित बहस भी प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली किया गया तथा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। सहखातेदारान के विरूद्व धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद को चलने योग्य नहीं समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 रूल 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)